

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Rich Farms Agro/SL/2024/40/39 भोपाल, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

Rich Farms Agro Exports,
Plot No. 21-22, Kiratpur Industrial Area,
Itarsi District Narmadapuram (MP) - 461111

GSTIN -23ABFFR8072B1ZE

richfarmsagro@gmail.com, accounts@richfarmsagro.com, nitin@richfarmsagro.com

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति)
नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ - आपका आवेदन दिनांक 30/07/2024।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम
मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009
(यथासंशोधित) के अधीन Rich Farms Agro Exports को विशेष अनुज्ञप्ति
क्रमांक/S.L./2024/40 दिनांक 08/04/2024 स्वीकृत की गई है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से उक्त स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति में निम्न अतिरिक्त विनिर्दिष्ट
मंडियों के क्षेत्रांतर्गत कारोबार करने हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति चाही गई है -

क्र.	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	डबरा	धान्य तथा दलहन

3. आवेदन पर विचारोपरांत अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय द्वारा Rich Farms
Agro Exports को नियम 2009 के तहत स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2024/40 दिनांक
08/04/2024 में 01 नवीन क्रय केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अनुमोदित क्रय
केंद्रों की अद्यतन सूची संलग्न है जोकि विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2024/40 दिनांक
08/04/2024 का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की
न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।

4. नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरूप बैंक गारंटी/ एफडीआर जमा करना
अनिवार्य होगा। कृषकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।


5. क्रय केंद्र स्थापना के संबंध में नियम 2009 के नियम 8(6) तथा नियम 8(7) के प्रावधान

लागू होंगे तथा क्रय केंद्र पर नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।

6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)


संलग्न - उपरोक्तानुसार।



सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Rich Farms Agro/SL/2024/40/391 भोपाल, दिनांक 23/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
अनुज्ञासिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाए।
2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञासिधारी **Rich Farms Agro Exports** को स्वीकृत विशेष अनुज्ञा (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा मांड्यूल में आवश्यक प्रविष्टि की जाए।




सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Rich Farms Agro Exports,
Plot No. 21-22, Kiratpur Industrial Area,
Itarsi District Narmadapuram (MP) - 461111

GSTIN -23ABFFR8072B1ZE


richfarmsagro@gmail.com, accounts@richfarmsagro.com, nitin@richfarmsagro.com

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/40 दिनांक 08/04/2024

क्रय केंद्र सूची :-

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	“धान्य तथा दलहन”	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	-	-	श्री शीतल चौहान मो.नं.- 9893540316
2	“धान्य तथा दलहन”	बाघई माखननगर	बाघई माखननगर	-	-	श्री संजय नामदेव मो.नं.- 7987304478
3	“धान्य तथा दलहन”	डबरा	डबरा	-	-	श्री नवीन कुमार मो.नं.- 9568963814

कार्यालय प्रमुख
मं. 3



सहायक संचालक (नियमन)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल